अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0)/चेकलिस्ट

तथा

पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न के रोकथाम, आर्थिक सहायता, पुनर्वास आदि के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की चेक लिस्ट

एवं

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (F.A.Q.)

विशेष जाँच मुख्यालय

सिग्नेचर बिल्डिंग, टावर-तृतीय, छठा तल,
गोमती नगर विस्तार, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ - 226010

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0)/चेकलिस्ट

(I) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना (रजिस्ट्रेशन)

1. अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी तथा जी0डी0 में कायमी कराकर विशेष जाँच प्रकोष्ठ प्रभारी सहित सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जायेगा।

2. प्रथम सूचनाकर्ता एवं अभियुक्तों के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभियोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू होता है अथवा नहीं।

3. विशेष जाँच प्रकोष्ठ प्रभारी प्राप्त सूचना के आधार पर अपने पर्यवेक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के बाद राहत राशि प्रदान किये जाने हेतु अभिलेखीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर पीड़ित/पीड़ितों को आर्थिक सहायता की प्रथम किश्त प्राप्त कराये जाने की प्रक्रिया शुरू करायेंगे।

4. आर्थिक सहायता की प्रथम किश्त प्रदान कराये जाने हेतु सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारी/विवेचक/थाना प्रभारी पीड़ित के खाता संख्या, जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर विशेष जाँच प्रकोष्ठ के प्रभारी को उपलब्ध करायेंगे। प्रायः देखने में आ रहा है कि बैंक खाता संख्या व जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होने में विलम्ब होता है, यदि पीड़ित का बैंक खाता नहीं है तो उसका खाता खुलवाने में यथोचित सहयोग करें। जिससे पीड़ित को आर्थिक सहायता की प्रथम किश्त के भुगतान में विलम्ब न हो। अतः अधिकतम एक सप्ताह में इस प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जाये।

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित लगभग समस्त धाराओं के पंजीकरण पर/शव परीक्षा/महिला सम्बन्धी कुछ विशेष अपराधों में चिकित्सा जाँच/चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि पर तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है, परन्तु कतिपय प्रकरणों में आरोप पत्र भेजे जाने के बाद ही आर्थिक सहायता का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिससे पीड़ित को तत्काल राहत मिलने में विलम्ब होता है।

6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धाराओं में परिवर्तन कर दिया गया है, परन्तु अधिकतर जनपदों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)10 या 3(2)5 या केवल 376 भा0द0वि0 को प्रयोग में लाया जा रहा है, जबकि 3(1)10 व 3(2)5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को अपराधवार कई श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार धारा 376 भा0द0वि0 को तीन श्रेणियों व धारा 354 भा0द0वि0 को 4 श्रेणियों में अपराधवार विभक्त किया गया है, परन्तु अधिकतर जनपदों द्वारा अभियोग पंजीकृत करते समय अधिनियम के अनुसार धारायें प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, जिससे पीड़ित को समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है तथा उसे प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि में काफी नुकसान होता है, 3(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम व 3(2)5ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की राहत राशि में कम से कम एक लाख की धनराशि का बड़ा अंतर है।

7. एफ0आई0आर0 विलम्ब से पंजीकृत करना, सुसंगत धाराओं के अधीन एफ0आई0 आर0 पंजीकृत न करना, विवेचना में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में लोक सेवकों के कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 की धारा-4

के अन्तर्गत दण्डित किये जाने का भी प्रावधान है तथा लोक सेवक का जानबूझकर किया गया कृत्य तथा वैधानिक कर्तव्यों से विरत रहने का कृत्य/अकृत्य भा0द0वि0 के अध्याय- 10 की विभिन्न धाराओं 217 से 222 भा0द0वि0 के अन्तर्गत भी प्रकृति के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के साथ घायल की मजरूबी चिट्ठी अत्यधिक सावधानीपूर्वक बनाई जाये ताकि कोई चोट छूट न जाए। चोटों का विवरण जी0डी0 में अवश्य अंकित कराया जाए। चोट गम्भीर होने की दशा में त्वरित उपचार कराया जाना अपेक्षित होगा।

(II) विवेचना के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश

1. अभिकथन अंकित करने हेतु धारा 160 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस तामील की जाये, जिससे जिस साक्षी के बयान केस डायरी में अंकित किये गये हैं वह बाद में न्यायालय में विचारण के दौरान इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सके कि उसे बयान देने के लिए नहीं बुलाया गया तथा उसका अभिकथन मनमाने तरीके से अंकित कर लिये गये। बयान अन्तर्गत 161 द0प्र0सं0 में अंकन के साथ-साथ वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जा सकती है।

2. विवेचना के दौरान धारा 41 दं0प्र0सं0 का सम्यक् अनुपालन किया जाये।

3. यदि पीड़ित अथवा पीड़िता मरणासन्न हों तो उसकी मृत्यु पूर्व बयान उपलब्ध सक्षम अधिकारी से अवश्य अंकित करा लिये जाये तथा मृत्यु पूर्व बयान की दशा में डाक्टर से यह प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये कि घायल/पीड़ित बयान दे सकने की स्थिति में हैं।

4. यदि अभियोग में पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का समावेश नहीं किया गया और पुलिस उपाधीक्षक को विवेचना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा बढ़ाकर थाने से प्राप्त करायी गयी हो तो अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम न लगे होने के सम्बन्ध में पूर्व विवेचक/हेडमोहर्रिर/डे-आफीसर के बयान अवश्य अंकित किये जायें कि पूर्व में उक्त अधिनियम की धारा क्यों नहीं लगाई गयी थी तथा वर्तमान में धारा बढ़ाने का औचित्य क्यों पाया गया। यदि पूर्व विवेचना में कोई विरोधाभासी कथन अंकित किया गया हो तो उस सम्बन्ध में अवश्य पूछ ताछ की जाये तथा विरोधाभास को स्पष्ट करा लिया जाये।

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अंकित किये गये बयानों में अभियोग में लगायी गयी धाराओं में वर्णित अपराधों/अत्याचारों सम्बन्धी अवयवों (INGREDIENTS) को अवश्य सम्मिलित कर लिया जाये, अन्यथा ऐसा न हो कि विचारण के समय बयान के आधार पर अपराध सृजित ही न हो। बलात्कार के प्रकरण में यह अवश्य अंकित किया जाये कि लैंगिक सम्बन्धः (1) पीड़िता के इच्छा के विरूद्ध (2) पीड़िता की मर्जी के बिना अथवा पीड़िता की मर्जी के बिना मृत्यु या उपहति कारित करने के भय से उसकी सहमति प्राप्त कर अथवा यदि पीड़िता 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति से या सहमति के बगैर या पीड़िता के मानसिक दिव्यांग होने के कारण अथवा नशे में होने के कारण उसकी सहमति प्राप्त कर स्थापित किया गया है, तो इसका विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। इसी प्रकार लगायी गयी धाराओं के अवयव (INGREDIENT) अंकित किये गये अभिकथनों में स्पष्ट रूप से शामिल होने चाहिए।

6. बहुधा विचारण के समय पीड़िता/पीड़ित एवं अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में विरोधाभासी तथ्य आते हैं और विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः पीड़िता/पीड़ित तथा अभियुक्त की आयु सम्बन्धी साक्ष्य को ध्यान से संकलित किये जाने चाहिए तथा आयु निर्धारित करने वाले चिकित्सक से विस्तृत पूछ-ताछ की जानी चाहिए। यदि अभिलेखों जैसे स्कूल दाखिला अभिलेख व मार्कशीट में अंकित आयु एवं मेडिकल चिकित्सा परीक्षण आयु में भिन्नता हो तो चिकित्सक से पूछ-ताछ कर स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार स्कूल के प्रधानाध्यापक आदि

के बयान भी अंकित कर लेना चाहिए। यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो वह महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है किन्तु उसकी प्रमाणिकता की पुष्टि अवश्य करा ली जाये।

7. यदि अभियोग में भा0द0सं0 की धारा 120ए, 120बी, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 217, 319, 320, 323, 324, 325, 326बी, 332, 341, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 359, 363, 365, 376बी, 376सी, 447, 506 अथवा 509 का समावेश किया गया है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)v क का समावेश अवश्य किया जाये। यदि अभियोग पंजीकरण के समय इस धारा को न लगाया गया हो तो विवेचना के समय धारा 3(2)v क अवश्य लगायी जाये। जैसा कि पूर्व में भी अंकित किया गया है, ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने पर धारा 3(2)v क लगाने पर अभियुक्त को समुचित दण्ड दिया जा सकेगा तथा दो लाख रूपये की राहत राशि पीड़ित/पीड़िता को देय होती है।

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-18 के अनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

9. कतिपय मामलों में अत्याचार की प्रथम सूचना यू0पी0 112 को फोन करके दी जाती है। जिसका संज्ञान लेकर यू0पी0 112 के द्वारा भी पृथक आवश्यक कार्यवाही की जाती है। साक्ष्य संकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आवश्यकता अनुसार यू0पी0 112 पर गई सूचना, तद्नुसार कार्यवाही व आवश्यकता अनुसार मौके पर गये पुलिस अधिकारी के अभिकथन भी अंकित करायें। यह भी देख लिया जाए कि थाने पर पंजीकृत एफ0आई0आर0 एवं यू0पी0 112 को दी गयी सूचना के बारे में कोई विरोधाभास तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो वादी एवं साक्षियों से पूछ-ताछ की जाए।

10. यदि आरोप पत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के बिना प्रेषित किया गया है तो इस तथ्य का इन्द्राज केस डायरी में अवश्य किया जाए तथा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में नियमानुसार अन्तिम विवेचना का पूरक केस डायरी किता कर उसे दस्तावेज के रूप में न्यायालय रिकार्ड में शामिल करवाना चाहिए।

11. केस डायरी में यह अवश्य अंकित किया जाये काल डिटेल रिपोर्ट से क्या सिद्ध किया जा रहा है। यदि काल डिटेल से कोई आरोप सिद्ध होता है और उसे केस डायरी में संलग्न किया जाना है तो काल डाटा रिकार्ड की प्रमाणित प्रति सम्बन्धित सेवा प्रदाता कम्पनी से धारा 60(बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त की जाय एवं केस डायरी के साथ सील्ड लिफाफे में संलग्न की जाये।

12. यदि अभियुक्त की गिरफ्तारी सम्भव नहीं होती है तो उसके विरूद्ध धारा 82 एवं धारा 83 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय से प्रक्रिया जारी करायी जाये तथा यदि धारा 83 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया जारी होती है तो धारा 82 दं0प्र0सं0 की उद्घोषणा का अनुपालन न करने के कारण अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 174ए भा0दं0सं0 का अभियोग पंजीकृत किया जाये एवं धारा 195 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय को संज्ञान लेने हेतु लिखा जाये।

13. यदि केस डायरी एवं आरोप पत्र टाइपशुदा है तो टाइपकर्ता का नाम और पद नाम केस डायरी में अंकित किया जाये एवं केस डायरी लेखक अथवा टाइपकर्ता को साक्षी के रूप में आरोप पत्र में अंकित किया जाय।

14. कई प्रकरणों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं की वृद्धि बाद में की जाती है, परन्तु फिर भी सही धाराएं नहीं लगाई जाती हैं और उन्हीं धाराओं में आरोप पत्र भेज दिया जाता है, जिस कारण पीड़ित को आरोप के सापेक्ष धाराएं न लगाये जाने के कारण आर्थिक सहायता में काफी नुकसान होता है।

15. सभी सरकारी व गैर सरकारी साक्षियों के अस्थाई पते, मोबाईल नम्बर (व्यक्तिगत) तथा यथा सम्भव स्थाई पता आरोप पत्र में अवश्य अंकित किये जाने चाहिये। जिससे साक्षियों को मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन आदि की जानकारी समय से मिल सके।

16. अराजपत्रित पुलिस अधिकारी यदि साक्षी है तो उनके पी0एन0ओ0 भी अंकित कराये जायें।

(III) घटनास्थल निरीक्षण

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/विवेचक द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया जाये तथा मौके पर मौजूद घटना के स्वतंत्र साक्षियों तथा घटना की जानकारी रखने वाले साक्षियों, एफ0आई0आर0 तथा रपट कायमी में अंकित साक्षियों के बयान दर्ज किये जायें।

2. घटनास्थल पर फोरेन्सिक यूनिट की मदद ली जाये तथा ऐसे साक्ष्यों को टेप अथवा रस्सी से सुरक्षित किया जाये तथा सम्बन्धित फोरेन्सिक साक्ष्य जैसे खोखा कारतूस, खून से सनी मिट्टी/कपड़े आदि नयी प्लास्टिक की थैलियों में सावधानी पूर्वक संकलित कर सील मुहर एवं लेबल किये जायें। विभिन्न कोणों से घटनास्थल की वीडियो रिकार्डिंग करायी जाय तथा फोटोग्राफ लिये जायें। इस कार्य हेतु स्थानीय फील्ड यूनिट के एक्सपर्ट की मदद ली जाये। घटनास्थल से साक्ष्य उठाने हेतु जनपदीय फील्ड यूनिट की मदद ली जाये तथा संकलित प्रदर्शों को यथाशीघ्र परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की कार्यवाही की जाये तथा प्रदर्श जमा करने की पावती की रसीद को केस डायरी में अवश्य शामिल किया जाय।

3. मौके पर घटना की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से अभियुक्तगण व साक्षियों के मोबाइल फोन नम्बर प्राप्त कर लिये जाये जिससे आवश्यकतानुसार उनकी काल डिटेल निकाली जा सके।

4. घटनास्थल पर सिग्नल देने वाले सभी टावरों की आई.डी. ज्ञात की जाये तथा इन टावरों की काल डाटा रिकार्ड (सीडीआर) एवं

इन्टरनेट प्रोटोकाल डेटा रिकार्ड (आईपीडीआर) व डम्प (DUMP) घटना के समय से एक घंटे पूर्व एवं एक घंटे बाद तक की प्राप्त की जाय।

5. स्थाई लैण्ड मार्क के सापेक्ष घटना स्थल का नक्शा नजरी भी बनाया जाय तथा नक्शे में स्थाई लैण्ड मार्क से घटना स्थल की दिशा व लगभग दूरी अंकित की जाय। अभियुक्तों की आने-जाने की दिशा यदि ज्ञात हो तो अंकित की जाय।

6. घटनास्थल का नक्शा-नजरी यथासंभव विवेचक द्वारा स्वयं अपने हस्तलेख में तैयार किया जाये तथा इन्डेक्स (अनुक्रमणिका) अवश्य बनाया जाये।

7. यदि घटना का समय अंधेरा होने या रात्रि का है, तो यह घटनास्थल पर चेक कर लिया जाये कि क्या वहां पर बिजली के प्रकाश का कोई स्रोत मौजूद है, अथवा किसी आसपास के घर से वहां रोशनी आ सकती है अथवा नही। बिजली होने के सम्बन्ध में स्थानीय विद्युत सब-स्टेशन से लिखित सूचना प्राप्त कर ली जाये कि उस समय विद्युत सप्लाई जारी थी अथवा नहीं।

8. यह भी जानकारी कर ली जाये कि आसपास के किन्ही घरों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हैं अथवा नहीं एवं क्या किसी राजकीय विभाग द्वारा लगाया गया सी0सी0टी0वी0 कैमरा है, अथवा नहीं। ऐसे सभी कैमरों से घटनास्थल की फुटेज (FOOTAGE) घटना के दिन की प्राप्त कर ली जाये। फुटेज देखकर घटना के सम्बन्ध में विवरण केस डायरी में अंकित किया जाये। यह अवश्य ध्यान दिया जाये कि कभी-कभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे का समय तथा वास्तविक समय में अन्तर होता है, अतः वास्तविक समय के अनुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरे का समय अंकित किया जाये।

9. घटना में यदि आग्नेयास्त्रों का प्रयोग हुआ हो तो आसपास के स्थानों यथा झाड़ियों, पानी के गढ्ढों में आग्नेयास्त्रों तथा खोखा कारतूस की तलाश कर ली जाये। यदि मौके से कोई आग्नेयास्त्र खोखा कारतूस बरामद होता है (जैसे आत्महत्या की

घटना में) तो उसे भी प्रक्रियानुसार सील कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बैलेस्टिक परीक्षण हेतु यथाशीघ्र भेज दिया जाये।

10. घटना के दिन घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों से आपातकालीन हेल्प लाइन यू0पी0 112, महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्प लाइन 1097 आदि से काल का विवरण प्राप्त कर लिया जाये।

11. यदि किसी साक्षी से कोई दस्तावेज/अभिलेख/इलेक्ट्रानिक अभिलेख या वस्तु जैसे मोबाइल फोन या लैपटाप बरामद किया जाना हो तो धारा 91 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस देकर अभिलेख मंगाये जाये। यदि आवश्यक समझा जाये तो धारा 100 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत सक्षम मजिस्ट्रेट से सर्च वारन्ट प्राप्त कर सर्च एवं धारा 102 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही की जाये।

(IV) सर्च एवं जब्तीकरण एवं फोरेन्सिक परीक्षण के सम्बन्ध में

1. इलेक्ट्रानिक अभिलेखों/वस्तुओं के जब्तीकरण के सम्बन्ध में धारा 60बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये। इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की जब्ती के समय हैश वैल्यू (HASH VALUE) अवश्य निकाली जाये तथा केस डायरी में अंकित किया जाये।

2. जब्ती का मेमो/फर्द बरामदगी मौके पर ही तैयार की जाये तथा सील करने की कार्यवाही मौके पर करके स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर लेने का प्रयास किया जाये। बरामदगी के दिनांक एवं समय का अंकन स्पष्ट रूप से केस डायरी में किया जाये। साक्ष्यों एवं प्रदर्शों की चेन आफ कस्टडी जब्ती से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने तक अटूट रखी जाये।

3. यदि किसी आरोपी से शस्त्र की बरामदगी होती है तो उसका अलग से शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर जिला मजिस्ट्रेट से अभियोजन अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जाये तथा यह सुनिश्चित कराया जाये कि शस्त्र अधिनियम का आरोप पत्र भी सक्षम न्यायालय में मुख्य अपराध के साथ विचारण के समय उपलब्ध हो।

शस्त्र यदि वैध हो तो शस्त्र निलम्बन व निरस्तीकरण की कार्यवाही भी कराई जा सकती है।

(V) शरीर सम्बन्धी अपराध

1. हत्या या मृत्यु के प्रकरणों में नियत प्रारूप में विस्तृत पंचायतनामा भरा जायेगा तथा शव की दशा, चोटों की संख्या व प्रकार तथा प्रयुक्त संभावित हथियार का विवरण अंकित किया जायेगा। यथा सम्भव स्वतंत्र व्यक्तियों, जो घटना से सम्बन्धित न हो, को भी पंचायतनामा का गवाह बनाया जाये। शव को अन्त्य परीक्षण (पोस्टमार्टम) हेतु नियत तरीके से ससम्मान भेजा जाये। यदि मृत्यु महिला से सम्बन्धित है तो अन्त्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से पूछा जाय कि क्या मृतका के साथ बलात्कार/दुराचार अथवा लैंगिक अपराध हुआ है या नहीं हुआ है।

2. यदि मृत्यु बच्चे की हुई है तो भी विशेष रूप से लैंगिक अपराध के सम्बन्ध में आख्या चिकित्सकों से मांगी जाये।

3. यदि मृत्यु जलने से सम्बन्धित है तो जलने की चोट का प्रतिशत तथा शरीर पर जलने की चोट किस दशा में आयी हो सकती है, (जैसे लेटे हुये अथवा खड़े-खड़े, अथवा चलते-चलते या अन्य प्रकार से) अंकित किया जाये।

4. मृतक/घायलों की पूरक मेडिकल रिपोर्ट जैसे एक्सरे रिपोर्ट, सीटी स्कैन रिपोर्ट आदि प्राप्त कर लिये जायें। यदि मृतक अथवा घायल अस्पताल में भर्ती रहा हो तो उसके बेडहेड टिकट की प्रति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा भर्ती एवं इलाज करने वाले डाक्टरों के बयान अंकित कर लिये जायें।

5. घायल की एमएलसी रिपोर्ट का अवलोकन कर एक्स-रे, परीक्षण अथवा जिस विशेषज्ञ को रिफर किया गया है, उससे परीक्षण अथवा जिस विशेषज्ञ को रिफर किया गया है, उससे परीक्षण करा लिया है या नहीं ?

6. चोटों की प्रकृति एवं डाक्टर से पूछ-ताछ के आधार पर प्रकरण में लगाई गई धारा सही है या नहीं, इसकी पुष्टि की गई या नहीं ?

7. मेडिकल रिपोर्ट तथा पूछ-ताछ से उत्पन्न स्थिति का मिलान एफ0आई0आर0 तथा कथनों में आई चोटों के प्रकार, हथियार और घायलों/आरोपियों की दूरी, दिशा एवं फायर का कोण आदि का मिलान हो रहा है या नहीं? चोटों की अवधि का घटना के समय से मिलान हो रहा है या नहीं ?

8. जब्तशुदा हथियार के सम्बन्ध में चोटों की प्रकृति के आधार पर डाक्टर से पूछ-ताछ कराई गयी या नहीं ?

9. यदि पूछ-ताछ की गई है तो अभिमत प्राप्त कर केस डायरी में शामिल किया गया है या नहीं ?

10. क्या एम.एल.सी. करने वाले डाक्टर से यह पूछ-ताछ करा ली गयी है कि चोटें मारपीट में प्रयुक्त हथियार से ही आई हैं, गिरने के कारण सम्भव नहीं हैं ?

11. डाक्टर से पूछ लें कि क्या उसने पीड़ित से कोई पूछ ताछ कर उसका उल्लेख इलाज के पर्चे या एमएलसी फार्म पर किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि उसने उल्लेख किया है तो उससे स्पष्ट करायें कि ऐसा उसने मात्र इलाज की दिशा निर्धारित करने के लिये किया है ?

12. घायल की एक्स-रे रिपोर्ट, एक्स-रे प्लेट, सीटी स्कैन रिपोर्ट, एमआरआई रिपोर्ट, यूएसजी रिपोर्ट, बेड हेड टिकट, पैथालॉजी रिर्पोट, डिस्चार्ज टिकट आदि प्राप्त कर लिए गये हैं या नहीं ? इनके अध्ययन से एफ0आई0आर0 एवं कथनों में आई चोटों/हथियारों का मिलान हो रहा है या नहीं ?

13. यदि शरीर सम्बन्धी अपराध के मूल में पट्टे, भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद हो तो ऐसे प्रकरणों में राजस्व अधिकारियों से विवादित स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर लिया जाए तथा सम्बन्धित लेखपाल/राजस्व अधिकारी का बयान अंकित कर उनको भी आरोप पत्र में गवाह के रूप में अंकित किया जाये तथा आशय को भी अभिप्रमाणित कराया जाये।

(VI) महिला / बच्चों सम्बन्धी अपराध

1. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार या लैंगिक हमले का विवरण है तो पीड़ित / पीड़िता के शरीर पर आयी चोटों का विस्तृत परीक्षण करने हेतु चिकित्सक को तत्काल पत्र प्रेषित किया जाये जिसमें आन्तरिक परीक्षण भी सम्मिलित हो। यदि महिला के साथ बलात्कार का अभियोग पंजीकृत किया गया हो तो उसकी पीठ पर आयी चोटों के बारे में चिकित्सक से पूछ-ताछ की जाये।

2. यदि पीड़िता द्वारा धारा 294, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है तो अभियुक्त अथवा अभियुक्तों के मोबाइल फोन तत्काल प्रक्रियानुसार जब्त कर उनमें से अश्लील सामग्री बरामदगी हेतु फोरेन्सिक एक्सपर्ट को प्रेषित कर दिया जाये।

3. जैसा कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 (5ए) में अंकित है कि यदि अभियोग भा0द0वि0 की धारा 354 अथवा 354ए अथवा 354बी, 354सी अथवा 354डी अथवा 376(1) अथवा 376(2) अथवा 376(ए) अथवा 376(बी) अथवा 376(सी) अथवा 376(डी) अथवा 509 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो पीड़िता के बयान यथाशीघ्र न्यायिक मजिस्ट्रेट से अंकित कराये जायें। यदि पीड़िता अस्थाई अथवा स्थाई रूप से मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम है तो मजिस्ट्रेट द्वारा द्विभाषिया (इन्टरप्रेटर) अथवा विशेष प्रबोधक (स्पेशल एजूकेटर) की मदद लेने हेतु अनुरोध किया जाये। ऐसे कथन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जायेगी।

4. धारा 363, 366 भा0द0वि0 एवं 3(2)5 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रकरणों में अपहृता की बरामदगी के उपरान्त उसके द्वारा लेखबद्ध कराये गये कथन में बताये समस्त तथ्यों की तस्दीक कर ली गयी या नहीं ? यदि पूर्व में माता-पिता / संरक्षक की शिकायत पर गुमशुदगी का मुकदमा कायम किया गया है, तो देखना चाहिए कि गुमशुदगी की जाँच में आये तथ्यों और अपराध कायम होने पर विवेचना में आये तथ्यों में कोई विरोधाभास तो नहीं है।

5. जिन-जिन जगहों पर अपहृता को रखा गया था, उन स्थानों के आसपास के साक्षियों से पूछ-ताछ कर कथन ले लिए गये हैं या नहीं।

6. यदि अपहरण सार्वजनिक स्थान से कर अपहृता को लोक परिवहन के वाहन या अन्य वाहन से ले जाया गया, तो अपहृता द्वारा घटना के सम्बन्ध में अन्य लोगों से न बता पाने की परिस्थितियों को स्पष्ट खुलासा विवेचना में दिया गया या नहीं ?

7. बालकों के प्रति घटित अपराधों में नियत प्रक्रिया का पालन अवश्य किया जाये जैसे-अभिकथन सादे वस्त्रों में रहकर अंकित किया जाये, विशेष बाल अधिकारी की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जाये।

8. बालकों के प्रति घटित अपराधों में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं का भी समावेश अवश्य कर लिया जाये।

9. बलात्कार के प्रकरण में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण 24 घण्टे के अन्दर अवश्य करा लिया जाये जिससे साक्ष्य नष्ट न हों।

10. मृतक अथवा मृतका के पोस्टमार्टम के बाद कपड़ों को डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिया जाये।

11. डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु महिला के नाखूनों में अभियुक्त के अवशेष, घटनास्थल पर प्राप्त अभियुक्त के बाल, पीड़िता के कपड़ों पर अभियुक्त के वीर्य के नमूने आदि प्रदर्श के रूप में संकलित किया जाना चाहिए। यदि बलात्कार पीड़िता जीवित है तो उसके बयानों के आधार पर सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त के कौन से अवशेष घटनास्थल पर मौजूद हो सकते हैं, जोकि प्राप्त किये जा सकते हैं।

12. यदि बयान महिला का अंकित किया जा रहा है तो विवेचक को एक महिला उप निरीक्षक अथवा एक महिला आरक्षी के माध्यम से उसकी लोक लज्जा का ध्यान रखते हुए पूछ-ताछ कराकर बयान कराये जायें तथा उसकी वीडियो रिकार्डिंग भी करायी जाये।

13. महिला के अन्तःवस्त्रों को अवश्य तत्काल कब्जे में लिया जाये।

(VII) The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013

1. यदि मृत्यु सीवर सफाई के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण न पहनने/प्रयोग के कारण हुई है तो अभियोग में ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन (प्रतिषेध) अधिनियम, 2013'' की सुसंगत धाराओं का समावेश अवश्य किया जाये।

2. यदि मृत्यु सीवर सफाई के दौरान बिना यथोचित सुरक्षा उपकरणों के उपलब्ध होने के कारण हुई है तो नियोक्ता से अथवा इन्श्योरेंस कम्पनी से 10 लाख रूपये राहत राशि प्रदान किये जाने हेतु आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित की जाये।

(VIII) आरोप पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट का प्रेषण

1. आरोप पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट 60 दिवस के नियत समय में अवश्य प्रेषित कर दी जाये। यदि किन्ही कारणों से यह संभव नहीं हो पाता है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से केस डायरी में उल्लिखित किया जाये तथा आरोपियों के आपराधिक इतिहास व दोष सिद्धि का भी उल्लेख किया जाय।

2. आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की स्थिति में देय राहत राशि का प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र सक्षम विभाग को प्रेषित कर दिया जाये।

3. आरोपित किये जाने के पूर्व नियमानुसार विधि अधिकारी से विधिक राय प्राप्त कर ली जाये। विधि अधिकारी द्वारा दी गयी राय को केस डायरी में कदापि उल्लिखित न किया न ही विधिक राय को केस डायरी के साथ संलग्न किया जाये।

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में धारा 34 भा0द0वि0 का उपयोग अत्यन्त सीमित है। अतः आरोप पत्र प्रेषित करते समय प्रत्येक आरोपी का पृथक-पृथक अपराध का उल्लेख कर देना चाहिए।

   निर्दोष आरोपी को बचाना पुलिस विवेचक का कर्तव्य है और निर्दोष होते हुए भी गिरफ्तार कर चालान करना गम्भीर कदाचरण है।

अतिरिक्त निरोधात्मक कार्यवाही

1. सभी क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रकरणों का नियमित रूप से परिशीलन कर आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

2. सभी क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित मामलों के हाट स्पॉट का चिन्हांकन कर उनका विवरण आवश्यकतानुसार हत्या/बलवा/रंजिश रजिस्टर में ग्राम व मोहल्लावार अंकित करें तथा बीट प्रभारियों को निर्देशित करें कि बीट सूचना लिखवाकर उसका भी सम्बन्धित रजिस्टर में नियमानुसार अंकन करें।

3. जघन्य अपराधों को चिन्हित कर डी0जी0 परिपत्र 46/18 के अनुरूप कार्यवाही कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः118/2016/1405/26-03-2016-4(256)/1994 दिनांक 14.06.2016 के क्रम संख्याः 46 में अंकित अपराध (हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थाई अक्षमता और डकैती) व क्रम संख्याः 47 में अंकित अपराध (घरों का पूर्णतया नष्ट करना या जलाना) के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को अतिरिक्त अनुतोष प्रदान कराया जाए।

पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न के रोकथाम, आर्थिक सहायता, पुनर्वास आदि के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की चेक लिस्ट

क्र0सं0	कार्यवाही का विवरण
A	**प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही**
1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अर्न्तगत अभियोग का तत्काल सही धाराओं में पंजीकरण एवं उच्चाधिकारियों को सम्प्रेषण तथा लेखबद्ध की गयी सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले को तत्काल निःशुल्क दिया जाना।
2.	शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय पीड़ितों को तथा उनके सगे सम्बन्धियों को सहायता अनुदान के विषय में व उनके अधिकारों के विषय में जानकारी प्रदान किया जाना।
3.	अभियोग पंजीकृत करते समय पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रित का बैंक खाता संख्या प्राप्त करना। यह उल्लेखनीय है कि बैंक खाता न होने के कारण आर्थिक सहायता का समय से भुगतान नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना व मार्गदर्शन प्रदान करना।
4.	तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण व पीड़ित पक्ष को सुरक्षा उपलब्ध कराना एवं आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही कराना।
5.	पीड़ितों के चिकित्सा परीक्षण अविलम्ब सुनिश्चित करायें। घटनास्थल को तत्काल संरक्षित करते हुए घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य प्राप्त हों उनको तत्समय एकत्र करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
6.	पुलिस उपाधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त (विवेचनाधिकारी) द्वारा हुकुम तहरीरी प्राप्त होने पर धारा 160 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुरूप समय से तामीला कराना सुनिश्चित करना।
7.	अभियोजन को सफल बनाने हेतु पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के संज्ञान में लाकर जिन प्रकरणों में आवश्यक हो वादी/

गवाह को सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा साक्षी सुरक्षा समिति को सूचित करना। अभियोजन को सफल बनाने हेतु डीजीपी मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-46/18 के तहत कार्यवाही कराना।

8. अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवेदनशील ग्रामों/मोहल्लों का नियमित रूप से भ्रमण किया जाना तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित भूमि सम्बन्धी विवाद/रंजिश/विवाद के बारे में जानकारी करना तथा हाट स्पाट चिन्हित कर बीट आरक्षियों द्वारा बीट सूचना रजिस्टर में अंकित कराना तथा बीट प्रभारी द्वारा जाँच कर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही कराना।

9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमि सम्बन्धी विवादों में विशेष रूप से राजस्व अधिकारियों के साथ सामन्जस्य स्थापित कर थाना समाधान दिवस/सम्पूर्ण समाधान दिवस पर प्रकरणो को समयबद्ध निस्तारण करना एवं आवश्यकतानुसार विधिक निरोधात्मक कार्यवाही पूर्ण कराना जिससे विवाद जातिगत रूप न ले।

10. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, बालकों एवं महिलाओं से सम्बन्धित अन्य अपराध, स्थाई अक्षमता व डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष प्रदान करना। घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना जैसी घटनाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता के बिन्दु-46 व 47 के अनुसार अतिरिक्त अनुतोष प्रदान कराया जाना।

11. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्रों एवं आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण कराना।

12. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न से सम्बन्धित, विशेषकर महिलाओं व बालकों के सम्बन्ध में घटित अपराध की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना एवं पीड़ित को तत्काल चिकित्सीय सहायता प्रदान करना।

B विवेचनाधिकारी/क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

1. तत्काल विवेचना आरम्भ कर घटनास्थल का निरीक्षण कर विधिक कार्यवाही कराना।

2. पीड़ितों का चिकित्सा परीक्षण अविलम्ब सुनिश्चित कराया जाना। घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य प्राप्त हों उनको वैज्ञानिक विधि से स्थानीय फील्ड युनिट की सहायता से तत्समय एकत्र करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

3. विवेचना का समयबद्ध तरीके से गुण-दोष के आधार पर निर्धारित अवधि में निस्तारण कराया जाना।

4. अन्वेषण/विवेचना श्रोत में घटनास्थल पर अग्रसर होने की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से वादी, पीड़ित एवं उनके आश्रितों को सूचना प्रदान करना।

5. राहत के हकदार पीड़ितों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की सूची बनाकर प्रक्रिया प्रारम्भ करके विशेष जाँच प्रकोष्ठ प्रभारी से समन्वय स्थापित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आर्थिक सहायता की प्रथम किश्त के भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ करना।

6. यदि विवेचना में आरोप पत्र लगता है तो द्वितीय किश्त के भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करना।

7. प्रक्रिया में वादी का जाति प्रमाण पत्र न होने पर उप जिला मजिस्ट्रेट व समाज कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के सम्बन्ध में थाना प्रभारी को निर्देशित करना।

8. पीड़ित पक्ष की सुरक्षा/आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित करना व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र व आई0जी0आर0एस0 के शिकायती प्रार्थना पत्र एवं एफ0आई0आर0 की नियमित रूप से समीक्षा/विवेचना करना व आवश्यकतानुसार उस पर विशेष रूप से नजर रखना व विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति करना।

10. अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवेदनशील ग्रामों/मोहल्लों का नियमित रूप से भ्रमण किया जाना तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित भूमि सम्बन्धी विवाद/रंजिश/विवाद के बारे में जानकारी करना तथा हाट स्पाट चिन्हित कराकर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही कराना।

11. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में यदि कोई प्रकरण डीजी परिपत्र संख्या- 46/18 के अन्तर्गत पैरवी हेतु दृष्टिगोचर होता है तो उसको चिन्हित कर लें तथा परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।

12. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमि सम्बन्धी विवादों का राजस्व अधिकारियों (एस0डीएम0) के साथ समन्वय स्थापित पर शीघ्र निस्तारण करायें ताकि विवाद जातिगत तनाव के रूप में परिवर्तित न हो सके।

13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु गठित अनन्य विशेष न्यायालयों/विशेष न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कराना।

14. उप जिलाधिकारी से सामन्जस्य स्थापित कर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन कराना।

C विशेष जाँच प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

1. विशेष जाँच मुख्यालय द्वारा प्रेषित प्रारूपानुसार अपराध रजिस्टर/आर्थिक सहायता सम्बन्धी रजिस्टर/विवेचनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी रजिस्टर आदि अभिलेखों का पूर्ण करेंगे व निर्धारित प्रारूप में सूचनाओं को पर्यवेक्षण अधिकारी व पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही निरीक्षण के समय निरीक्षण अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे।

2. अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी पंजीकृत अभियोगों का अद्यावधिक रिकार्ड रखना।

3. आर्थिक सहायता के प्रस्ताव को समय से द्वारा उचित माध्यम जिला समाज कल्याण अधिकारी को समय से प्रेषित किया जाना तथा यदि भुगतान लम्बित है, तो पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के संज्ञान में लाना।

4. अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्रों/समाचार पत्रों पर समुचित कार्यवाही हेतु पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5. विशेष जाँच प्रभारी रीडर/कन्ट्रोलरूम से सामन्जस्य स्थापित कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित डेली क्राइम रिपोर्ट प्राप्त करेगा तथा उसे मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार कर एफ0आई0आर0 की सूचना समय से मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा/राज्य सभा द्वारा पूँछे गये प्रश्नों का समय से उत्तरालेख तैयार कराकर सम्बन्धित को भेजना।

7. विशेष जाँच मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूपों में मासिक सूचनाओं को समय से प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप में सूचनाओं को तैयार कर पर्यवेक्षण अधिकारी व पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

8. अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी मा0 आयोगों द्वारा माँगी गयी सूचनाओं को समय से प्रेषण हेतु सूचनाओं को तैयार कर पर्यवेक्षण अधिकारी व पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

9. पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के द्वारा आयोजित मासिक गोष्ठी/राजपत्रित अधिकारियों की गोष्ठी में 60 दिवस से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं व आर्थिक सहायता हेतु लम्बित प्रकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा, ताकि पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के द्वारा इसका सतत् पर्यवेक्षण कर जिन प्रकरणों में आर्थिक सहायता के प्रस्ताव की प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त भुगतान हेतु लम्बित हैं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी के माध्यम से अनुस्मारक निर्गत करने व जिन अभियोगों के निस्तारण के पश्चात तृतीय किश्त का प्रस्ताव भेजा जाना हो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे तथा लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में अनुस्मारक निर्गत करेंगे।

D नोडल अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

1. विशेष जाँच मुख्यालय द्वारा प्रेषित प्रारूपानुसार अपराध रजिस्टर/आर्थिक सहायता सम्बन्धी रजिस्टर/विवेचनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी रजिस्टर आदि अभिलेखों का पूर्ण कराना व नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना।

2. अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी पंजीकृत अभियोगों का अद्यावधिक रिकार्ड रखने सम्बन्धी कार्यवाही का पर्यवेक्षण करना तथा समयबद्ध विवेचना का निस्तारण कराना एवं यदि विवेचना समय से निस्तारित नहीं की जा रही हैं तो विवेचना के निस्तारण हेतु अनुस्मारक निर्गत करना एवं 60 दिवस से अधिक समय से लम्बित विवेचनाएं पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

3. आर्थिक सहायता के प्रस्ताव समय से जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाना तथा समुचित पैरवी कर पीड़ित एवं उनके आश्रितों को समय से आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने सम्बन्धी कार्यवाही का पर्यवेक्षण व यदि आर्थिक सहायता भुगतान राशि लम्बित है तो पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस प्रभारी के संज्ञान में लाना।

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र व आई0जी0आर0एस0 के शिकायती प्रार्थना पत्र एवं एफ0आई0आर0 की नियमित रूप से समीक्षा करना। आवश्यकतानुसार उस पर विशेष रूप से नजर रखना व विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति कराना।

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा/राज्य सभा द्वारा पूँछे गये प्रश्नों का समय से उत्तरालेख तैयार कराकर सम्बन्धित को भेजने सम्बन्धी कार्यवाही का पर्यवेक्षण।

6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विशेष जाँच मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूपों में मासिक सूचनाओं का समय से प्रेषण आदि का पर्यवेक्षण।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित मा0 आयोगों द्वारा माँगी गयी सूचनाओं को समय से प्रेषित कराना एवं उनका पर्यवेक्षण करना।

8. जनपदीय विशेष जाँच प्रकोष्ठ में जिन संसाधनों की आवश्यकता हो उसकी सम्पूर्ति करना तथा नियमित रूप से विशेष जाँच प्रकोष्ठ का निरीक्षण करना व कार्य का सतत् पर्यवेक्षण करना।

9. माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित जमानत सम्बन्धी याचिकाओं एवं धारा 432 दं0प्र0सं0 से सम्बन्धित याचिकाओं में प्रस्तरवार आख्या व प्रतिशपथ पत्र को समयबद्ध ढंग से विधि अधिकारी से परीक्षण कराकर मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल कराना।

E वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

1. तत्काल विवेचना आरम्भ करायें तथा संवेदनशील घटनाओं से सम्बन्धित घटनास्थल का स्वयं तत्काल निरीक्षण कर विधिक कार्यवाही कराना व आर्थिक सहायता की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

2. शासनादेश संख्याः 3150/छः-पु0-1-07 दिनांक 18-7-2007 में निहित प्रावधानों एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पत्र संख्याः डीजी-चार-106(370)/2019 दिनांक 6-7-2020 एवं अ0शा0 परिपत्र संख्याः डीजी-चार-(58)-2020 दिनांक 19-11-2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद के थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाना।

3. मासिक समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण किया जाना व मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र/नियम इत्यादि के बारे में नियमित रूप से क्राइम (अपराध) मीटिंग व अधिकारियों की मीटिंग में ब्रीफ कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराना एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों की समीक्षा करना तथा 60 दिवस से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण कराना तथा जिन प्रकरणों में आर्थिक सहायता लम्बित है उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भुगतान कराना।

4. आवश्यकतानुसार गुण-दोष के आधार पर लोक सेवक के दायित्वों की उपेक्षा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 4 एवं धारा 166 A (IPC) की कार्यवाही करायेंगे।

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न से सम्बन्धित मामले जिनमें अतिरिक्त अनुतोष प्रदान किया जाना है, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त अनुतोष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता के बिन्दु-46 व 47 के अनुसार) प्रदान किये जाने की कार्यवाही कराना।

6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में यदि कोई प्रकरण डीजी परिपत्र संख्या-46/18 के अन्तर्गत पैरवी हेतु दृष्टिगोचर होता है तो उसको चिन्हित कर लें तथा परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी हॉट स्पाट चिन्हित करना तथा ग्राम मोहल्ला रजिस्टर/रंजिश रजिस्टर में भी अद्यावधिक करना तथा हत्या, बल्वा एवं महिलाओं/बालकों से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराना एवं महत्वपूर्ण प्रकरणो का स्वयं समीक्षा कर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराना एवं वादी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना।

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं एवं बालकों से सम्बन्धित अपराध होने पर तत्काल विशेष रूप से सभी प्रक्रिया पूर्ण कराकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही करायेंगे।

9. जनपदीय विशेष जाँच प्रकोष्ठ में जिन संसाधनों की आवश्यकता हो उसकी सम्पूर्ति करना तथा नियमित रूप से विशेष जाँच प्रकोष्ठ का निरीक्षण करना व कार्य का सतत् पर्यवेक्षण करना।

10. महत्वपूर्ण प्रकरणो में जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर शस्त्र लाइसेन्सों का निलम्बन/निरस्तीकरण, उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम, उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, एन0एस0ए0 का उपयोग आवश्यकतानुसार करना।

11. यदि किसी पीड़ित का बैंक खाता या जाति प्रमाण पत्र न हो, तो यथाशीघ्र पीड़ित का बैंक खाता खुलवाने एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराना।

12. मासिक समीक्षा बैठक के दौरान ऐसे प्रकरणो जिनमें मा0 न्यायालय में विचारण के उपरान्त सजा हुई हो ऐसे मामलों की भी समीक्षा कर विचारण की समाप्ति पर तृतीय प्रस्ताव के रूप में पीड़ित को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आर्थिक सहायता प्रदान कराया जाना।

13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का साहूकारों द्वारा उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी, बेगार से ग्रसित मामले प्रकाश में आने पर विधिक कार्यवाही कराना व जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अनुतोष प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना।

14. जिलाधिकारी से सामन्जस्य स्थापित कर जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन कराना।

15. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र व आई0जी0आर0एस0 के शिकायती प्रार्थना पत्र एवं एफ0आई0आर0 की नियमित रूप से समीक्षा करना व आवश्यकतानुसार उस पर विशेष रूप से नजर रखना व विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति कराना।

16. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमि सम्बन्धी विवादों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से वार्ता करना व नियमित समीक्षा करना।

17. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु वादी/साक्षियों को प्रथम अवसर पर ही प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में सभी क्षेत्राधिकारियों/प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित करना।

18. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से सामन्जस्य स्थापित कर कानूनी सहायता प्रदान कराना।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
Frequently Asked Questions

विशेष जाँच मुख्यालय एवं जनपदीय विशेष जाँच प्रकोष्ठों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथा संशोधित 2015 एवं 2018) एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (यथा संशोधित 2016 एवं 2018) के सम्बन्ध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर

प्रश्न 01:- किन जनपदों में शासन द्वारा विशेष जाँच प्रकोष्ठ हेतु स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

उत्तरः- उत्तर प्रदेश के निम्नांकित 20 जनपदों में शासन द्वारा विशेष जाँच प्रकोष्ठ हेतु स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

1-लखनऊ 2-हरदोई 3-सीतापुर 4-रायबरेली 5-उन्नाव 6-गोण्डा 7-बहराइच 8-बाराबंकी 9-सुल्तानपुर 10-फतेहगढ़ 11-इटावा 12-बांदा 13-जालौन 14-बस्ती 15-गोरखपुर 16-आजमगढ़ 17-बदायूँ 18-मेरठ 19-वाराणसी 20-आगरा।

प्रश्न 02:- जनपदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है ?

उत्तरः- कम से कम पुलिस उपाधीक्षक अथवा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर का अधिकारी ही उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना कर सकता है।

प्रश्न 03:- जनपदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक पद पर शासनादेश के अनुसार नियुक्त किये जाने हेतु क्या प्रावधान है ?

उत्तरः- उ0प्र0 के जनपदों के थानों में 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 02 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है।

प्रश्न 04:- उत्तर प्रदेश में शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी जातियां वर्णित हैं ?

उत्तर :- शासनादेश संख्या - 3483/26-3-2003-3(7)/03 दिनांक 30-09-2003 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अलग-अलग वर्णन किया गया है।

प्रश्न 05:- अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत ''आश्रित'' से क्या अभिप्रेत है ?

उत्तर :- ''आश्रित'' से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता, पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हों, अभिप्रेत है। (धारा 2 (ख ख)।

प्रश्न 06:- अधिनियम के अन्तर्गत ''पीड़ित'' से क्या अभिप्रेत है ?

उत्तर :- अधिनियम के अन्तर्गत ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति की परिभाषा के भीतर आता है और जो इस अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धन सम्बन्धी हानि या उसकी सम्पत्ति को हानि वहन का अनुभव करता है। जिसके अन्तर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं।

प्रश्न 07:- अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों की विवेचना कितने दिनों में समाप्त हो जानी चाहिए?

उत्तरः- अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्यचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार विवेचक द्वारा विवेचना उच्च प्राथमिकता के आधार पर 60 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। यदि विवेचना 60 दिन के अन्दर पूरी नहीं होती है तो अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट किया जायेगा।

प्रश्न 08:- **अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किये जाने पर क्या लोक सेवक की गिरफ्तारी के लिए नियोक्ता प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है?**

उत्तरः- नहीं।

प्रश्न 09:- **अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने पर क्या जन सामान्य की गिरफ्तारी के लिए जनपद पुलिस प्रभारी की अनुमति आवश्यक है ?**

उत्तरः- नहीं, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2020 के अनुसार।

प्रश्न 10:- **यदि अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जाती है तो क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने पर प्रदान की गयी राहत राशि वापस किया जाने का कोई प्रावधान है ?**

उत्तरः- नहीं।

प्रश्न 11:- **ऐसे कौन से अपराध हैं जिनमें आरोप पत्र के स्तर पर ही तथा विचारण से पूर्व सम्पूर्ण सहायता राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है?**

उत्तरः- हत्या एवं मृत्यु, एसिड फेंकने अथवा एसिड फेंकने का प्रयत्न करने के प्रकरणों में सम्पूर्ण राहत राशि आरोप पत्र के स्तर पर प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न 12:- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती एवं घरों को पूर्णतया नष्ट करने या जलाने पर पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष देने के क्या प्रावधान हैं ?**

उत्तरः- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम-12(4) के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या :118/2016/1405/26-3-2016-4 (256)/

1994 दिनांक 14-06-2016 के अनुसार पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष प्रदान किये जाने का प्रावधान है। हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती एवं घरों को पूर्णतया नष्ट करने या जलाने पर पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष देने के सम्बन्ध में विवरण सूची के बिन्दु 46 व 47 में वर्णित है।

प्रश्न 13:- शासन के किस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उत्पीड़न होने की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ?

उत्तरः- समाज कल्याण विभाग द्वारा।

प्रश्न 14:- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 की विवेचना में तथा अन्य संरक्षण कार्य में लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड का क्या प्रावधान है ?

उत्तरः- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 की धारा-4 के अन्तर्गत कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उनके द्वारा पालन किये जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

प्रश्न 15:- अधिनियम के अन्तर्गत लोक सेवक के कर्तव्यों में कौन से कर्तव्य सम्मिलित हैं ?

उत्तरः- अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना।

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना।

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना,

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना,

(ङ) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में **साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना** तथा विलम्ब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना,

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना,

इन कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए लोक सेवक को दण्डित किये जाने का प्रावधान भी है।

प्रश्न 16:- इस अधिनियम के अन्तर्गत क्या इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का सही रूप से तैयार अथवा विघटित करना अथवा अनुवाद करना कर्तव्य की श्रेणी में आता है ?

उत्तरः- हां।

प्रश्न 17:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के प्रति मतदान सम्बन्धी किन अत्याचारों का वर्णन है ?

उत्तरः- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (ठ) के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा :-

(अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने;

(आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन फाइल न करने या ऐसे नाम निर्देशन को प्रत्याहृत करने; (वापस लेने) या

(इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नाम निर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे;

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;

(ढ) मतदान के पश्चात, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसे लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्त है;

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;

प्रश्न 18:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के प्रति लैंगिक अपराधों के क्रम में ''सहमति '' पद से क्या अभिप्रेत है ?

उत्तर:- ''सहमति''पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है :

परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रिया कलाप में सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा।

परन्तु यह और कि स्त्री का, अपराधी के साथ सहित, लैंगिक इतिहास, सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है।

प्रश्न 19:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत धारा 3(2)Vक की क्या महत्ता है ?

उत्तरः- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत धारा 3(2)Vक की अनुसूची में भा0द0वि0 की धाराओं 120ए, 120बी, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 217, 319, 320, 323, 324, 325, 326बी, 332, 341, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 359, 363, 365, 376बी, 376सी, 447, 506 अथवा 509 का विवरण अंकित किया गया है जिनके अर्न्तगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियमावली 2016 के साथ संलग्न अनुसूची के प्रस्तर 41 में पीड़ित या उसके आश्रितों को 02 लाख रूपये की राहत राशि संदाय होती है। यह सामान्यतया संदाय राशि से अधिक होती है।

प्रश्न 20:- यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट के अन्तर्गत गठित होने वाले अपराध के सम्बन्ध अन्य विधियां भी लागू होती हों तो क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तरः- अधिनियम की धारा 20 के अनुसार इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, **इस अधिनियम के उपबन्ध,** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में **उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।**

प्रश्न 21:- यदि कोई अभियोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत है तो उससे सम्बन्धित कार्यवाही किस कोर्ट में होगी (पॉक्सो अधिनियम कोर्ट/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कोर्ट) ?

उत्तरः- यदि कोई अभियोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोग से सम्बन्धित कार्यवाही बालकों के लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 पर विचारण करने वाले विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम कोर्ट) में होगी। यथा - पीड़ित/पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अंकित करने हेतु, गैर जमानती वारण्ट प्राप्त करने हेतु अथवा धारा 82, 83 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी कराने आदि हेतु पॉक्सो अधिनियम कोर्ट से प्रार्थना की जाये। पीड़ित/पीड़िता को देय राहत राशि का भुगतान अपर पुलिस महानिदेशक अपराध के पत्र सं0 डीजी-सात-एस-1(21)/2016 दिनांक 26.07.2018 में की गयी अपेक्षानुसार किया जायेगा। जिसमें अंकित है कि यदि सम्बन्धित अपराध हेतु अन्य प्रावधानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम से अधिक राहत राशि देय है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत देय राहत राशि का भुगतान किये जाने के पश्चात शेष देय राहत राशि के भुगतान हेतु जिलाधिकारी को अलग से प्रस्ताव भेजा जायेगा।

प्रश्न 22:- यदि किसी अभियोग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना दोनो के अन्तर्गत राहत राशि देय है तो सहायता का प्रस्ताव किस प्रकार प्रेषित किया जायेगा ?

उत्तरः- जिन प्रकरणों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम से अधिक राहत राशि देय है उन प्रकरणो में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत देय राहत राशि की रिपोर्ट पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात शेष अतिरिक्त राहत राशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा। उदाहरणार्थ :- एसिड से हमले के प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत रूपया 8 लाख 25 हजार की अधिकतम राहत राशि प्रदान की जाती है। जबकि उ0प्र0 रानीलक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम देय राशि 10 लाख रूपये है। **अतः शासनादेश के अनुसार उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत 10 लाख रूपये की अधिकतम देय राशि में से शेष धनराशि रू0 1 लाख 75 हजार के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा।**

चिकित्साधिकारी द्वारा मेडिकल रिपोर्ट को डिजिटल हस्ताक्षर कर ऑनलाइन जिला संचालन समिति की स्वीकृति हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार पीड़िता की एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात जिला पुलिस के नोडल अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर ऑनलाइन जिला संचालन समिति की स्वीकृति हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

प्रकरण भुगतान की अनुशंसा के साथ कोष प्रबंधन इकाई (एम0एम0यू0) को अग्रसारित करेगा। तदोपरान्त कोष प्रबंधन इकाई (एम0एम0यू0) द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से माँग सृजित की जायेगी। तद्नुसार पी0एफ0एम0एस0 (PFMS) पद्धति से धनराशि सीधे लाभग्राहियों के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

प्रश्न 23:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना में अभिकथन किस प्रकार अंकित किये जाने चाहिये ?

उत्तरः- अधिनियम के अन्तर्गत अंकित किये गये बयानों में अभियोग में लगायी गयी धाराओं में वर्णित अपराधों/अत्याचारों सम्बन्धी तथ्यों (INGREDIENTS) को अवश्य सम्मिलित कर लिया जाये, अन्यथा ऐसा न हो कि विचारण के समय बयान के आधार पर अपराध सृजित ही न हो। जैसे-बलात्कार के प्रकरण में यह अवश्य अंकित किया जाये कि लैंगिक सम्बन्ध : (1) पीड़िता के इच्छा के विरूद्ध (2) पीड़िता की मर्जी के बिना अथवा पीड़िता की मर्जी के बिना मृत्यु या उपहति कारित करने के भय से उसकी सहमति प्राप्त कर अथवा यदि पीड़िता 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति से या सहमति के बगैर या पीड़िता के मानसिक दिव्यांग होने के कारण अथवा नशे में होने के कारण उसकी सहमति प्राप्त कर स्थापित किया गया हो, का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। इसके अतिरिक्त विवेचना के दौरान यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या पेनीट्रेशन/प्रवेशन आंशिक था अथवा पूर्ण, आदि जैसे तथ्य अंकित किये जाने चाहिए। इसी प्रकार लगायी गयी धाराओं में इन्ग्रेडियन्ट (INGRADIENT) अंकित किये गये अभिकथनों में स्पष्ट रूप से शामिल होने चाहिए।

प्रश्न 24:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किन धाराओं के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों में धारा 164 सी.आर.पी.सी. का बयान अंकित किया जाना चाहिए ?

उत्तरः- जैसा कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 (5ए) में अंकित है कि यदि अभियोग भा0द0वि0 की धारा 354 अथवा 354ए अथवा 354बी, 354सी अथवा 354डी अथवा 376(1) अथवा 376(2) अथवा 376(ए) अथवा 376(बी) अथवा 376(सी) अथवा 376(डी) अथवा 509 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो पीड़िता के बयान यथाशीघ्र न्यायिक मजिस्ट्रेट से अंकित कराये

जायें। यदि पीड़िता अस्थाई अथवा स्थाई रूप से मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम है तो मजिस्ट्रेट द्वारा द्विभाषिया (इन्टरप्रेटर) अथवा विशेष प्रबोधक (स्पेशल एजूकेटर) की मदद लेने हेतु अनुरोध किया जाये। ऐसे कथन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जायेगी।

यदि पीड़िता द्वारा धारा 294, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी का अभियोग पंजीकृत कराया गया है तो अभियुक्त अथवा अभियुक्तों के मोबाइल फोन तत्काल प्रक्रियानुसार जब्त कर उनमें से अश्लील सामग्री बरामदगी हेतु फोरेन्सिक एक्सपर्ट को प्रेषित कर दिया जाये।

प्रश्न 25:- यदि मृतक अथवा मृतका का आश्रित स्वयं ही हत्या अथवा मृत्यु के आरोप में आरोपित किया गया हो तो ऐसी स्थिति में राहत राशि किसको प्रदान की जायेगी ?

उत्तरः- ऐसी स्थिति में राहत राशि मृतक अथवा मृतका के बच्चों अथवा बच्चे न होने की दशा में माता, पिता, भाई, बहन जो मृतक अथवा मृतका पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित थे, को प्रदान की जायेगी।

प्रश्न 26:- यदि पीड़ित कोई मंदबुद्धि बालिका/बालक है तो राहत राशि का भुगतान किसको किया जायेगा (पीड़ित/पीड़िता को अथवा संरक्षक को) ?

उत्तरः- यदि पीड़ित कोई मंदबुद्धि बालिका/बालक है तो उसके वैधानिक संरक्षक के संरक्षण में बालिका/बालक का बैंक खाता खुलवाकर राहत राशि प्रदान की जायेगी।

प्रश्न 27:- बलात्कार के प्रकरणों में जांच चिकित्सा रिपोर्ट में 'नो ओपिनियन कैन बी गिवेन अबाउट रेप' अंकित हो, तो ऐसे मामलों में क्या राहत राशि दी जानी चाहिए, विशेषकर ऐसे अभियोगों में जिनमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया हो ?

उत्तरः- आरोप पत्र प्रेषित किये जाने से और उसका संज्ञान मा0 न्यायालय द्वारा ले लिए जाने से प्रथम दृष्टया स्थापित हो जाता है कि घटना घटित होने के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः राहत राशि तत्काल प्रदान की जानी चाहिए।

प्रश्न 28:- क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण में सरपंच/पार्षद/सांसद/विधायक/प्रधानाध्यापक आदि के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र चालान हेतु पर्याप्त है?

उत्तर :- नहीं, इस हेतु मात्र सक्षम प्राधिकारी यथा उपजिलाधिकारी/तहसलीदार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अनिवार्य/मान्य है।

प्रश्न 29:- जाति प्रमाण पत्र निर्गत होने की प्रक्रिया व समयावधि क्या है ?

उत्तर :- राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन D-district पोर्टल से जारी किया जाता है। राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2198/एक-14-2010-33 (100)/2010 टी0सी0 ii लखनऊ दिनांक 15 जनवरी, 2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की 20 कार्य दिवस निर्धारित की गयी।

प्रश्न 30:- जाति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति द्वारा कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो वह मान्य है ? उसमें क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

उत्तर :- नहीं, राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र ही मान्य है।

प्रश्न 31:- जाति प्रमाण पत्र का कोई निर्धारित प्रारूप है ?

उत्तर :- हाँ, शासन के परिपत्रों में जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। उसी प्रारूप में प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई भी अन्य प्रारूप अमान्य है।

प्रश्न 32:- क्या राहत प्रकरण हेतु सरपंच/पार्षद द्वारा जारी प्रमाणपत्र मान्य है?

उत्तर :- नहीं। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य है।

प्रश्न 33:- यदि किसी महिला द्वारा विवाह करने पर क्या उसके मूल निवास का जाति प्रमाण पत्र पर्याप्त है या विवाह के उपरांत महिला के ससुराल से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है ?

उत्तर :- हाँ। विवाहित महिला के प्रकरण में स्थानीय सक्षम प्राधिकारी महिला के मायके के स्थान के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र

जारी कराने अथवा वहां से जांच कराने के उपरांत ही प्रमाण पत्र जारी करने के विकल्प का उपयोग कर सकता है।

प्रश्न 34 :- क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला को गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह कर लेने की दशा में इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ मिलेगा ?

उत्तर :- हाँ, विवाह के उपरांत भी महिला को उसकी मूल जाति का संरक्षण मिलता रहेगा।

प्रश्न 35 :- क्या गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष से विवाह करने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का लाभ मिलेगा ?

उत्तर :- गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष से विवाह करने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रश्न 36:- क्या अन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्न पुत्र/पुत्री को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का लाभ मिलेगा ?

उत्तर :- सामान्यतया, जब तक कि कोई विपरीतार्थक परम्परा या कानून नहीं है, तब बच्चे अपने पिता की 'जाति प्राप्त करते हैं।

प्रश्न 37:- क्या अन्य प्रदेश का पीड़ित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है ? यदि घटना उस जिले में घटी है जहां पीड़ित की जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत नहीं आती, क्या ऐसी स्थिति में पीड़ित के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर :- अन्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योकि संविधान आदेश 1950 के द्वारा

जाति को अनुसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति किसी प्रदेश विशेष के लिए ही अधिसूचित किया गया है।

प्रश्न 38:- सीवर सफाई के दौरान यदि मृत्यु बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में घुसने से हुई है तो क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तरः- यदि मृत्यु सीवर सफाई के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण न पहनने/प्रयोग के कारण हुई है तो अभियोग में ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन प्रतिषेध अधिनियम, 2013'' की सुसंगत धाराओं का समावेश अवश्य किया जाये।

यदि मृत्यु सीवर सफाई के दौरान बिना यथोचित सुरक्षा उपकरणों के उपलब्ध होने के कारण हुई है तो नियोक्ता से अथवा इन्श्योरेंस कम्पनी से 10 लाख रूपये राहत राशि प्रदान किये जाने हेतु आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित की जाये।

प्रश्न 39:- अनुसूचित जाति और अनुसूचित के सदस्यों की समस्याओं के निराकरण के लिये केन्द्र व राज्य स्तर पर किन आयोगों का गठन किया गया है ?

उत्तरः- केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग-अलग गठित किये गये हैं एवं उ0प्र0 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

प्रश्न 40:- किस-किस स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित के सदस्यों को अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने व अभियोजन आदि की मॉनीटरिंग हेतु समितियों का गठन किया जाना विधि सम्मत है ?

उत्तरः- प्रदेश में तीन स्तरों पर सतर्कता और मॉनीटरिंग समितियों का गठन किया हैं।

(1) मा0 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन। (नियम-16 के अन्तर्गत)

(2) जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन। (नियम-17 के अन्तर्गत)

(3) उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में उपखण्डों स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन। (नियम-17 (क) के अन्तर्गत)

प्रश्न 41:- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब गठित हुआ ? आयोग कहाँ पर स्थित है ?

उत्तर :- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन दिनांक 19.02.2004 को हुआ। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 01 उपाध्यक्ष तथा 03 सदस्य होते हैं। आयोग पंचम तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट - नई दिल्ली - 110003 में स्थित है।

प्रश्न 42:- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब गठित हुआ ? आयोग कहाँ पर स्थित है ?

उत्तर :- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन दिनांक 19.02. 2004 को हुआ। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 01 उपाध्यक्ष तथा 03 सदस्य होते हैं। आयोग षष्ठम तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली- 110003 में स्थित है।

प्रश्न 43:- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है ?

उत्तर :- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय, पंचमतल केन्द्रीय भवन सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ - 226024 में स्थित है।

प्रश्न 44:- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है ?

उत्तर :- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को-आपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची, झारखण्ड- 834002 में स्थित है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य का भी कार्य देखा जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा-4(2) के अन्तर्गत लोक सेवक के कर्तव्य

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना।

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना।

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना।

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना।

(ङ) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना।

(च) किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना।

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।